यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

चिकित्सा **अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर** के माह 08/2015 से 06/2018 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री खुशी राम** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (**तदर्थ**) द्वारा दिनॉक 26.07.2018 से 30.07.2018 तक श्री **दानिश इकबाल**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **रविशंकर, श्री रामप्रीत** सहायक लेखापरीक्षा **अधिकारीयों** द्वारा दिनॉक 26.08.2015 से 31.08.2015 तक श्री **राकेश कुमार**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2012 से 07/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 06/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण **भगवानपुर** है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	0	0	284.03	251.67	-	-	0	32.36	0	-
2016–17	0	0	421.07	251.18	0.20	0.20	0	169.89	0	-
2017–18	0	0	276.24	272.34	0	0	0	3.90	0	0
2018–19 (06/2018 तक)	0	0	245.72	89.83	0	0	0	155.89	0	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015–16	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**	24.58	144.52	139.50		20.33
2016–17		20.33	145.71	151.49		14.81
2017–18		14.81	169.09	165.55		14.72
2018–19 (06/2018 तक)		14.72	7.98	9.94		12.76

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**सी**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

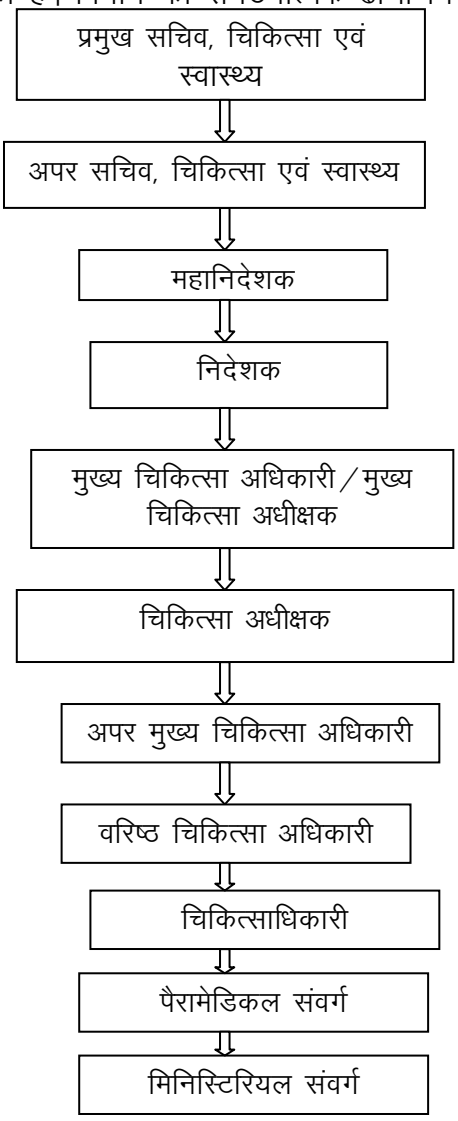

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में चिकित्सा **अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्सा **अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर** की लेखापरीक्षा में पाए गये

निष्कर्षों पर आधारित है। **03/2016 तथा 03/2018** को अधिकतम व्यय (**चिकित्सा प्रबंधन समिति तथा राज्य ब्यय**) के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग दो -"ब"

प्रस्तर:1- आवश्यक औषधि प्राप्त नहीं होने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुष्प्रभाव एवं बिना मांग के अनावश्यक औषधि का प्राप्त होना

चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हरिद्वार,भगवानपुर कस्बे मे स्थित है जहां पर प्रति दिन अत्यधिक संख्या मे रोगी आते हैं। बहुतायात संख्या मे नवजात शिशुओं का जन्म होता है, संस्थागत प्रसव मे एवं समस्त रोगियों को निशुल्क औषधि प्रदान करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग में अधिकांश औषधि का क्रय निदेशालय स्तर पर किया जाता है तथा कुछ औषधि का क्रय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाता है, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से अधीनस्थ इकाइयों को वितरित किया जाता है,तथा नितांत आवश्यक औषधि का क्रय स्थानीय स्तर पर भी किया जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर के औषधि से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा मे यह तथ्य संज्ञान मे आया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर को संप्रेक्षा अवधि में 14 प्रकार की ऐसी औषधि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार द्वारा सौंपी गयी थी जिसकी न तो मांग की गयी थी और न ही जिसकी आवश्यकता थी तथा इसके अलावा 20 प्रकार की औषधि जिसकी मांग की गयी थी परन्तु उसकी आपूर्ति नहीं की गयी थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर हरिद्वार की अवश्यकतानुसार औषधि प्राप्त नहीं हो रही थी जबकि उक्त चिकित्सालय मे रोगियों की संख्या अत्यधिक थी, ऐसी स्थिति मे रोगियों के इलाज पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। और कुछ ऐसी औषधि प्राप्त हुई थी जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी निर्गत किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि औषधि के वितरण मे निदेशालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा मनमानी की जा रही थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

अतः आवश्यक औषधि प्राप्त नहीं होने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुष्प्रभाव एवं बिना मांग के अनावश्यक औषधि प्राप्त होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो -"ब"</u>

प्रस्तर-02 : जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 34.86 लाख का कार्यक्रम के प्रावधानों के विरूद्ध भुगतान।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा एवं (iv) लाभार्थी को मृत प्रसव के मामले में प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर (हरिद्वार)** के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2018–19 (06/2018) तक कुल 1535 लाभार्थियों एवं 2560 आशाओं को क्रमशः रु0 20.17 लाख एवं रु0 14.69 लाख का भुगतान किया गया। लाभार्थियों को किए गया कुल भुगतान रु0 34.86 लाख अनियमित था क्योंकि प्रसव के पश्चात् लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम निर्धारित 48 घण्टे रुके ही नहीं। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 34.86 लाख का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसके उदाहरण निम्नवत् हैः–

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 1535 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 20.17 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
3. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 14.69 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 34.86 लाख का अनियमित व्यय भुगतान किया गया। वर्ष 2014–15 से 2018–19 (06/2018) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.3–4)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण	देय राशि (ग्रामीण 0	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)	आशाओं की संख्या	आशाओं को भुगतान (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2015–16	ग्रामीण	540	0	540	540	756000.00	0.00	756000.00	759	455400.00
	शहरी	113	0	113	113	113000.00	0.00	113000.00	120	48000.00
2016–17	ग्रामीण	355	0	355	355	497000.00	0.00	497000.00	755	453000.00
	शहरी	86	0	86	86	86000.00	0.00	86000.00	115	46000.00
2017-18	ग्रामीण	264	0	264	264	369600.00	0.00	369600.00	640	384000.00
	शहरी	77	0	77	77	77000.00	0.00	77000.00	78	31200.00
2018-19 (06/2018)	ग्रामीण	78	0	78	78	109200.00	0.00	109200.00	73	43800.00
	शहरी	22	0	22	22	8800.00	0.00	8800.00	20	8000.00
		1237	0	**1237**	**1237**	**1731800.00**	**0.00**	**1731800.00**	**2227**	**1336200.00**
योगः–		**298**	0	**298**	**298**	**284800.00**	**0.00**	**284800.00**	**333**	**133200.00**
महायोगः		**1535**		**1535**	**1535**	**2016600.00**	**0.00**	**2016600.00**	**2560**	**1469400.00**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 34.86 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर मे बताया कि आशाओं की ब्यस्तता के कारण जेएसवाई कार्ड समय से नहीं भरे गए और आशाओं के अनुरोध पर एकमुश्त भुगतान किया गया। महिलाओं के अनुरोध एवं उनके रिश्तेदारों के दबाव के कारण उन्हें 48 घंटे से पहले छोड़ा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थी को भुगतान किया जाना चाहिए था, जिसकी एक मुख्य शर्त यह थी कि लाभार्थी को कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में रुकना आवश्यक होगा। इस प्रकार योजना मे निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 34.86 लाख के कार्यक्रम के प्रावधानों के विरूद्ध भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुष्प्रभाव

चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हरिद्वार,भगवानपुर कस्बे मे स्थित है जहां पर प्रति दिन अत्यधिक संख्या मे रोगी आते हैं। बहुतायात संख्या मे नवजात शिशुओं का जन्म होता है,ऐसी स्थिति मे स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर, के अन्तर्गत चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के 74 पद स्वीकृत थे, जिसके सापेक्ष 37चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ की तैनाती थी, तथा 37 पद रिक्त थे।

केवल रिक्त पदो का विवरण निम्नवत था-

पदनाम	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पद**
Medical Officer	1	0	1
Physician	1	0	1
Surgeon	1	0	1
Gynecology	1	0	1
Pediatrician	1	0	1
Radiologist	1	0	1
ANM	32	15	17
ICC	1	0	1
Health Supervisor	9	1	8
BHEO	1	0	1
Washer man	1	0	1
Driver	1	0	1
Dark Room Assistant	1	0	1
Dental Hygienist	1	0	1
			37

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि उक्त चिकित्सालय में रोगियों की संख्या अत्यधिक थी उसके बाद भी चिकित्सा अधीक्षक, फिजीशियन,सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ,तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद रिक्त था मात्र दो चिकित्सा अधिकारी तैनात थे,जो आवश्यकता से काफी कम था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ के 37 पद (50%) रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपने उत्तर में बताया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण कार्यरत चिकित्सकों द्वारा अधिक कार्य किया जा रहा है और साथ ही रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

अतः चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ के पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा सेवाओं पर दुष्प्रभाव का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	टिप्पणी
77/2015-16	0	0	02	विगत लेखा परीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे ही प्रधान महालेखाकार(ले0प0) देहरादून को इकाई द्वारा भेजी जाएगी।

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग–V

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 विक्रांत सिरोही	चिकित्सा **अधीक्षक**	अगस्त 2015 – वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्सा **अधीक्षक**, **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र**, **भगवानपुर** इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र